न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–246/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00185)

1. नाथी देवी पत्नी स्व. छोटूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. ग्यारसीलाल पुत्र स्व. छोटूराम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता नाथी देवी बेवा छोटूराम जाति गुर्जर निवासी अचरोल तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. चंचल बंसल पत्नी श्री ओमप्रकाश बंसल निवासी ए–94 सरस्वती नगर, मालवीय नगर जयपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. हनुमान पुत्र बोदूराम,
4. नाथू पुत्र बोदूराम, जाति गुर्जर निवासी ग्राम अचरोल तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 30.05.2016 (प्रकरण संख्या 66/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर में विवादित आराजी खसरा नम्बर 5369, 5364/7506, 5368, 5370 लगायत 5376 कुल किता 12 कुल रकबा 1.58 हैक्अयर में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा है तथा अन्य खातेदारान चंचल बंसल का 1/4 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो अजनबी क्रेता ने एक दावा बाबत तकासमा का प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट को बिना जानकारी व बिना प्रोपर तामील कराकर अपीलान्ट संख्या 1 व मेरे पुत्र जो नाबालिंग है उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कराकर विधि विरूद्ध रूप से मुकदमा नम्बर 49/2013 उनवानी ओमप्रकाश व अन्य बनाम हनुमान वगैरा निर्णय दिनांक 27.11.2013 में एकतरफा में किये गये आदेश की अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. द्वारा कार्यवाही की गई जो विचाराधीन है, ऐसे स्थिति में न्यायालय द्वारा वाद विचाराधीन होते हुये भी पत्थरगढी के आदेश अपीलार्थी की बिना बहस सुने एवं ग्राम पंचायत अचरोल कैम्प में सुनवाई न कर बिना तारीख पेश के, बिना नोटिस के अन्य कैम्प मानपुरा माचेडी में दिनांक 30.05.2016 को निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र में आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2016 को नियत की उसमें आगामी पेशी दिनांक 10.06.16 नियत की गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कैम्प कोर्ट मानपुरा माचेडी में दिनांक 30.05.2016 को रखकर दोनों पक्षों को सूचना नोटिस न देकर मनमाना आदेश पारित किया है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का मौका आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का मौका न देकर न्याय के साथ खिलवाड किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को ज्ञान था कि न्यायालय में दोनों पक्षकारान के बीच वाद प्रार्थना पत्र विचाराधीन है फिर भी जानबुझकर विधवा महिला व उसके नाबालिग पुत्र के साथ अन्यायं कर कानूनी भूल की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश बाबत पत्थरगढी खसरा नम्बर 5368/1, 5371, 5373, व 5376/1 कुल किता 4 रकबा 0.26 हैक्टयर ग्राम अचरोल प्रार्थना पत्र संख्या 66/2014 दिनांक 30.05.2016 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी की ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.16 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.06.16 नियम की गई थी तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी से पूर्व ही कैम्प कोर्ट मानपुरा मचेडी में दिनांक 30.05.16 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जबकि उभयपक्ष को पत्रावली कैम्प कोर्ट में नियत करने सम्बन्धी कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.16 पारित किया गया है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.16 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।